सम्पदा कार्यालय

ESTATE OFFICE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

रुड़की/ ROORKEE

No. Estate Office/E-50/Vol.14/2025/4953 **Date: 28, November, 2025**

NOTICE

विज्ञान कुंज एवं विकास नगर के कुछ आवंटियों को पूर्व में उनके आवासों को आगामी निर्माण गतिविधि को ध्यान में रखते हुए आवासों को रिक्त करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही यह भी सूचित किया गया था की ऐसे आवेदकों को उनकी पात्र श्रेणी के सभी आवासों हेतु भविष्य में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन करने पर 'एक समय की वरीयता' दी जाएगी।

एच.ए.सी.-1 की बैठक दिनांक 24.11.2025 के निर्णय के अनुसार इस विज्ञापन में विज्ञापित आवासों में उनकी पात्र श्रेणी हेतु आवेदन करने पर 'एक समय की वरीयता' दी जाएगी। उपर्युक्त संबंधित आवंटियों को सूचित किया जाता है कि इस 'एक समय की वरीयता' का लाभ लेने का यह अन्तिम अवसर होगा इसके पश्चात किसी अन्य विज्ञापन में 'एक समय की वरीयता' नही दी जाएगी।

Some allottees of Vigyan Kunj and Vikas Nagar were earlier instructed to vacate their respective residences in view of the upcoming construction activities. They were also informed that such allottees would be given a "one-time preference" under their eligible category while applying in future advertisement.

As per the decision of H.A.C.-1 meeting dated 24.11.2025, a "one-time preference" will be given to them upon applying for the residences advertised in this advertisement, under their eligible category. Such allottees are hereby informed that this is the final opportunity to avail the benefit of this "one-time preference." After this, no "one-time preference" will be granted in any future advertisements.

इस विज्ञापन में 'एक समय की वरीयता' का लाभ लेने वाले योग्य आवेदकों को वरिष्ठता का लाभ देने के पश्चात आवासों के आवंटन की अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

The seniority list of allotment of residences will be finalized after giving the benefit of the seniority to the eligible applicants who are availing the benefit of the one-time preference in this advertisement.

रुड़की परिसर आवास

ROORKEE CAMPUS RESIDENCES

टाइप 'ए'—1 (पे लेवल—13 एवं उससे अधिक)

TYPE 'A'-1 (PAY LEVEL - 13 AND ABOVE)

Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति
1.	सी—302, रिवर व्यू अपार्टमेंट्स **C-302, River View Apartments**	2.	सी—606, रिवर व्यू अपार्टमेंट्स **C-606, River View Apartments**	3.	122, थॉमसन मार्ग **122, Thomson Marg**
4.	124, थॉमसन मार्ग **124, Thomson Marg**	5.	204/1, सरस्वती कुंज **204/1, Saraswati Kunj**	6.	ए—202, शिवालिक अपार्टमेंट्स **A-202, Shivalik Apartments**
7.	सी—301, शिवालिक अपार्टमेंट्स **C-301, Shivalik Apartments**	8.	16/2, नीति नगर **16/2, Niti Nagar**	9.	ए—5, हिल व्यू अपार्टमेंट्स **A-5, Hill View Apartments**
10.	डी—11, हिल व्यू अपार्टमेंट्स **D-11, Hill View Apartments**				

अनिल 28/11/25

अभियंता (सम्पदा) 28/11/2025

कुलसचिव 28.11.25

टाइप 'ए'—2 (पे लेवल—10 से लेवल—12 तक)

TYPE 'A'-2 (PAY LEVEL - 10 TO LEVEL - 12)

Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति
1.	203/5, सरस्वती कुंज **203/5, Saraswati Kunj**	2.	205/5, सरस्वती कुंज **205/5, Saraswati Kunj**	3.	208/5, सरस्वती कुंज **208/5, Saraswati Kunj**
4.	58/2, रविंद्र लोक **58/2, Ravindra Lok**	5.	4/4, नीति नगर **4/4, Niti Nagar**	6.	5/4, नीति नगर **5/4, Niti Nagar**
7.	31/3, नीति नगर **31/3, Niti Nagar**	8.	बी—502, कैनाल व्यू अपार्टमेंट्स **B-502, Canal View Apartments**		

सहानपुर परिसर आवास

SAHARANPUR CAMPUS RESIDENCES

टाइप 'ए'—1 (पे लेवल—13 एवं उससे अधिक)

TYPE 'A'-1 (PAY LEVEL - 13 AND ABOVE)

Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति	Sl. No.	Residence No. and Location आवास सं0 एवं अवस्थिति
1.	*ए-202, त्रिवेणी अपार्टमेंट्स **A-202, Triveni Apartments**	2.	ए-603, त्रिवेणी अपार्टमेंट्स **A-603, Triveni Apartments**	3.	*ए-701, त्रिवेणी अपार्टमेंट्स **A-701, Triveni Apartments**
4.	ए-702, त्रिवेणी अपार्टमेंट्स **A-702, Triveni Apartments**	5.	*ए-703, त्रिवेणी अपार्टमेंट्स **A-703, Triveni Apartments**		

* ये आवास पहले ही तीन बार 'ए—1' टाइप में विज्ञापित किया जा चुका हैं, किन्तु उक्त आवासो हेतु किसी ने आवेदन नहीं दिया है। यदि 'ए—1' टाइप आवासो हेतु अर्ह स्टाफ के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उक्त आवासो को आवास आवंटन समिति—प्रथम द्वारा 'ए—2' टाइप हेतु अर्ह स्टाफ सदस्यों को आवंटित किया जा सकता है। 'ए—2' टाइप हेतु अर्ह स्टाफ सदस्य भी उक्त आवासो हेतु आवेदन कर सकते है।

*These residences have already been advertised three times in 'A-1' type, but no one applied for this, if request of staff entitled for 'A-1' type is not received for this residence, the residence can be allotted to a staff member entitled for 'A-2' type by the House Allotment Committee-I. Staff members entitled for 'A-2' type are eligible to apply for these houses.

नियम व शर्तें:

Terms & Conditions:

1. रुड़की परिसर में सेवारत संकाय सदस्य /समूह 'ए' स्टॉफ के सदस्य रुड़की परिसर में निवास के लिए पात्र होगे। इसी प्रकार, सहारनपुर परिसर में सेवारत समूह 'ए' स्टाफ का सदस्य सहारनपुर परिसर में निवास के लिए पात्र होगे।
   A member of Faculty/Group 'A' Staff serving at Roorkee campus shall be eligible for a residence in the Roorkee Campus. Similarly, a member of Group 'A' Staff serving at Saharanpur campus shall be eligible for a residence in the Saharanpur Campus.

2. आवेदकों से अनुरोध है कि वे (विज्ञापन में संलग्न) आवेदननिर्धारित प्रारूप पर नवीनतम वेतन पर्ची के साथ ऑनलाइन (https://haa.iitr.ac.in/) जमा करें।
   Applicants are requested to submit their applications online (https://haa.iitr.ac.in/) along with the latest salary slip.

3. आवास आवंटन समिति—प्रथम की बैठक दिनांक 12.09.2022 के निर्णय के अनुसार 'ए—2' प्रकार के आवासों के लिये गैर—शिक्षण अधिकारियों को 20% आरक्षण दिया जायेगा।
   As per the decision of HAC-I in its meeting held on 12.09.2022, the reservation for Non-Teaching Officers in A-2 Type residences will be 20%.

4. आवेदन—पत्र ऑनलाइन जमा (submit) करने और वापस लेने की **अंतिम तिथि 05.12.2025 शाम 05:00 बजे** तक है। इसके बाद आवेदन लिंक बंद हो जायेगा।
   The last date and time to submit the online application to withdraw the application is the same i.e. **05.12.2025 till 17:00 Hrs.**, thereafter, the link will get disabled.

5. आवासों की प्रत्येक टाइप के लिए आवेदनकर्ताओं द्वारा अलग—अलग आवेदन भेंजे जाने चाहिए।
   Separate applications should be sent by the applicants for each type of residence.

28/11/25 28/11/2025 28.11.25

6. (i) उन आवेदको के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा, जो लंबी छुट्टी पर है, और उनके छः माह के अंदर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की सम्भावना है।
Applications from those applicants, who are on long leave and are likely to re-join his/her duties within 6 months, will also be considered.
(ii) वे आवेदक जो प्रतिनियुक्ति/ग्रहणअधिकार पर है, तथा जिन्हे अवकाश अवधि के दौरान संस्थान आवास को रखने की अनुमति दी गई है, इस विज्ञापन के माध्यम से अन्य संस्थान आवास के लिये आवेदन कर सकते है। इस प्रकार वे अपने पहले आवास को शेष अवकाश अवधि के लिये बदल सकते है।
For the employees, who are on the deputation/lien and have been permitted to retain the Institute residence while being on leave, may apply for a residence against this advertisement. In this way, they may change the retained residence for the remaining duration of their leave, for which they have been permitted to retain the residence.

7. एक ही टाइप में, आवास के नवीन आवंटन हेतु, किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, जो पूर्व आवास में कम से कम दो वर्ष तक न रह चुका हो (एच.ए.आर 4.7.1)
No person shall be considered for a fresh allotment as well as of residence in the same type unless he has completed at least two year stay in the previous residence (HAR 4.7.1).

8. आई.आई.टी.रूड़की के आवास आवंटन नियम हमारी वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर देखे जा सकते हैं।
https://www.iitr.ac.in/estateworks/rules/Revised_House_Allotment_Rules_HAC-I_and_HAC-II.pdf

The house allotment rules of I.I.T. Roorkee may be seen on our website on the link below.
https://www.iitr.ac.in/estateworks/rules/Revised_House_Allotment_Rules_HAC-I_and_HAC-II.pdf

9. आवंटित किए गये आवास का, उसी स्थिति में कब्जा लेना होगा, जैसा कि वह हो। आवंटित आवास का कब्जा न लेने वाले व्यक्ति को, किसी भी मानक आवास (नॉन ट्रॉजिट एकोमोडेशन) हेतु आवेदन करने से, कब्जा लेने हेतु आवंटी को दी गयी अंतिम तिथि से, आगामी दो वर्ष के लिए, वर्जित कर दिया जाएगा (एच.ए.आर. 5.0)।
The residence once allotted must be occupied in the condition as they are. Persons not occupying the allotted residence shall be debarred from applying for any standard residence (non-transit accommodation) for the next two years from the last date given to the allot for occupying the allotted residence (HAR 5.0).

10. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
No conditional applications will be considered.

11. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
Incomplete applications forms will not be considered for allotment.

12. संस्थान का कोई कर्मचारी अपने समूह के अर्ह टाइप से निम्न टाइप के आवास में केवल तभी आवेदन कर सकता है, यदि वह कर्मचारी निम्न टाइप के आवास मे रह रहा हो या वो संस्थान आवास के लिये प्रथम बार आवेदन कर रहे हैं (एच.ए.आर 2.1)।
An employee can apply for a lower type of house of the same group other than his entitled type only if he is living in lower type of house or applying for the Institute house for the first time (HAR 2.1).

13. कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी अर्ह टाइप के मकान में रह रहा हो उसे किसी नीचे टाइप के मकान में आवेदन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।
A person living in a house of his entitled type will not be permitted to apply for a house of a lower type.

14. **आवेदकों से, आवेदन के पूर्व, आवास के भौतिक रूप से निरीक्षण किए जाने का निवेदन है। केवल सुरक्षा संबंधी, छोटी–मोटी मरम्मत तथा पुताई, रंगाई/रोगन ही, यदि बकाया (डियू) हो तो, वहां स्थानांतरण होने से पूर्व किए जाएंगे। आवेदक निरीक्षण हेतु प्रातः 9:00 से 10:00 एवं सायं 3:00 से 5:00 बजे तक संबंधित जोन के अवर अभियंता से नीचे दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क कर सकते है :**
Applicants are requested to inspect residences physically before applying only safety-related repairs, patch repairs and white washing, colour washing /painting, if due, will be done before shifting. For Inspection applicant can contact the JE of the respective Zone from 9:00 to 10:00 AM and 3:00 to 5:00 PM on the contact number given below:

S.N	Zone	AE/JE Name	Mobile No.	Area
1.	A	Mr. Nishant Kumar	9012881201	River View Apartments
2.	B	Mr. Brijesh Pandey	8860306066	Thomson Marg, Saraswati Kunj
3.	D	Mr. Deepak Kumar	8006349409	Shivalik Apartments, Hill View Apartments
4.	E	Mr. Uday Singh Meena	8209081144	Niti Nagar, Ravindra Lok, Canal View Apartments
5.	SRE. Campus	Mr. Praveen Saini	9012912070	Triveni Apartment, Saharanpur Campus

रूड़की परिसर
ROORKEE CAMPUS

Sl. No.	Garage No. गैराज सं0	Sl. No.	Garage No. गैराज सं0	Sl. No.	Garage No. गैराज सं0
1.	आई जी-86, विकास नगर **IG-86, Vikas Nagar**	2.	आई जी-125, विकास नगर **IG-125, Vikas Nagar**	3.	आई जी-128, विकास नगर **IG-128, Vikas Nagar**
4.	आई जी-43ई, सरस्वती कुंज **IG-43E, Saraswati Kunj**	5.	आई जी-106, सरस्वती कुंज **IG-106, Saraswati Kunj**		

सहारनपुर परिसर
SAHARANPUR CAMPUS

जी–10 G -10	जी–11 G -11	जी–14 G -14	जी–15 G -15	जी–17 G -17

नियम व शर्तें:–
Terms & Conditions:-

1. यदि आवेदक गैराज के लिए आवेदन कर रहा है, तो आवेदक के पास अपने अथवा पत्नी/पति के नाम कार अवश्य होनी चाहिए (वाहन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए), तथा इसके लिए आवेदन पत्र के साथ प्रामाणिक प्रलेख–पत्र (डाक्यूमेंट्री प्रूफ) सलंग्न किया जाये **HAR 10.1(a)**।
The applicant for the allotment of a garage should own a car (Car No. should be given) in own/spouse name for which documentary proof is to be attached with the application form **HAR 10.1(a).**

2. आवास आवंटन के लिए वरिष्ठता के अनुरूप ही गैराज का आवंटन किया जायेगा । आवासीय परिसर के अंतर्गत गैराज होने की स्थिति में, उस गैराज का आवंटन संबंधित आवास के आवंटी को किया जाएगा, चाहे असके पास कार हो अथवा न हो **HAR 10.1(B)**।
The allotment of a garage will be made as per the seniority for house allotment. The garages inside a residential campus shall be allotted to the allottee of that residence irrespective of whether he/she owns a car or not **HAR 10.1(B).**

3. केवल एक जोन के गैराजों से दूसरे जोन के गैराजों के आवंटन में परिवर्तन सम्बन्धी प्रार्थनाओं पर विचार किया जाएगा।
Requests for a change will be entertained only from one zone of garages to the other.

4. किसी विशेष जोन के गैराज के आवंटन हेतु वरीयता उस जोन के अंतर्गत आने वाले आवासी को दी जायेगी (एच.ए.आर 10.5)।
Preference for a garage in a particular zone will be given to the resident of that zone **HAR 10.5.**

5. आवेदकों से अनुरोध है कि वे (विज्ञापन में संलग्न) आवेदन निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम वेतन पर्ची एवं वाहन की आर. सी. के साथ ऑनलाइन (https://haa.iitr.ac.in/) जमा करें।
Applicants are requested to submit their applications online (https://haa.iitr.ac.in/) along with the latest salary slip.

6. आवेदन–पत्र ऑनलाइन जमा (submit) करने और वापस लेने की **अंतिम तिथि 05.12.2025 शाम 05:00 बजे** तक है। इसके बाद आवेदन लिंक बंद हो जायेगा।
The last date and time to submit the online application as well as to withdraw the application is the same i.e. **05.12.2025 till 17:00 Hrs.**, thereafter, the link will get disabled.

7. किसी गैराज का आवंटन हो जाने की स्थिति में, उस गैराज को उसकी वर्तमान हालत में ही ग्रहण करना होगा। आवंटन हो जाने की स्थिति में यदि किसी आवंटी व्यक्ति द्वारा गैराज का आवंटन ग्रहण नहीं किया जाता तो इस बार के आवंटन–ग्रहण की अंतिम तिथि से लेकर अगले एक वर्ष तक के लिए उस व्यक्ति को आवंटन के नए आवेदन से वंचित कर दिया जाएगा (एच.ए.आर 10.8)। आवंटन के लिए अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
Garages once allotted must be occupied in the condition as they are. Persons not occupying the allotted garages shall be debarred from applying for fresh allotment for the next one year (HAR 10.8) from the last date given to the allottee for occupying the garage allotted. Incomplete application form will not be considered for allotment.

8. आई.आई.टी.रूड़की के आवास/गैराज आवंटन नियम हमारी वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर देखे जा सकते हैं।
Revised_House_Allotment_Rules_HAC-I_and_HAC-II1.pdf (iitr.ac.in)

The house/garage allotment rules of I.I.T.Roorkee may be seen on our website on the link below.
Revised_House_Allotment_Rules_HAC-I_and_HAC-II1.pdf (iitr.ac.in)

9. किसी शर्त के साथ किये गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
No conditional applications will be considered.

10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
Incomplete applications forms will not be considered for allotment.

28/11/25

सहायक कुलसचिव (सम्पदा)
Assistant Registrar (Estate)

सहायक कुलसचिव
Assistant Registrar
सम्पदा/Estate
भा० प्रौ० सं० रुड़की/I.I.T. Roorkee

Copy to: -

1. Channel - i
2. faculty-notices@iitr.ac.in
3. groupa-notices@iitr.ac.in

अनिल 28/11/25

28/11/2025